



पत्र. सं. एल. एम्./एन. सं. 896

साहसंस्क सं० इम्पु० सी०-४९

साहसंस्क सं० धीमं एंट कम्पेण्डर

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 1999

श्रावण 7, 1921 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1622/संवह-वि-1-1 (क) 31-1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचना यह इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1-- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 8  
वन् 1975 की  
धारा 3 का प्रति-  
स्थापन

2—उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“3—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—  
परिभाषायें

(क) “अमरीकी पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन का प्रभार सम्मिलित है और जिसमें शाम की चाय का प्रभार भी सम्मिलित हो सकता है ;

(ख) “यूरोपियन पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता का प्रभार भी सम्मिलित है ;

(ग) “होटल” के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाई है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट योजना के अधीन अनुमोदित इकाइयाँ सम्मिलित नहीं है ;

(घ) “सुख-साधन” का तात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों की कोष्ठावलि के जिनका किराया एक हजार रुपया प्रतिदिन अथवा उससे अधिक हो, अधिभोगियों के लिए व्यवस्थित की जाय ;

(ङ) “सुख-साधन कर” या “कर” का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर से है ;

(च) “उपान्तरित अमरीकी पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता और दोपहर के भोजन या रात्रि के भोजन में से किसी एक का प्रभार भी सम्मिलित है ;

(छ) “स्वामी” का तात्पर्य होटल के स्वामी से है और उसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो होटल के प्रबन्ध का तत्समय प्रभारी हो ;

(ज) “किराया” का तात्पर्य किसी होटल के कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के अधिभोगी से वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये समस्त प्रभार, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और इसके अन्तर्गत वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शौचालय या लिनेन से निर्मित वस्तुयें भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत भोजन या पेय या ऐसी अन्य वस्तुओं के प्रभार, जिनकी विक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर देय है, सम्मिलित नहीं है ।

स्पष्टीकरण-1 किसी कमरे या कमरों की कोष्ठावलि में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या का विचार किये बिना कमरे या कमरों की कोष्ठावलि को एक इकाई के रूप में मानकर कर का उद्ग्रहण किया जायेगा । जहाँ कहीं स्वामी द्वारा विभिन्न टैरिफ योजनाओं, जैसे यूरोपीय, अमरीकी या उपान्तरित अमरीकी पद्धति के अधीन प्रभारों को एक सम्मिश्रित दर, जिसे अन्तर्गत आवास, भोजन और पेय तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के प्रभार भी सम्मिलित हैं, नियत की गयी हो, वहाँ इस अधिनियम के अधीन कर का उद्ग्रहण ऐसे प्रभार के उस भाग पर जिस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन व्यापार कर उद्ग्रहणीय है, नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण-2 जहाँ कहीं स्वामी द्वारा प्रभार की उद्ग्रहण वसूली दैनिक दर से किन्तु दर के आधार पर की जाय, वहाँ कर का निर्धारण करने या कमरों की कोष्ठावलि के उपयोग को कुल अधि के आधार पर संगणित औसत दैनिक प्रभार पर किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण-3 जहाँ कहीं स्वामी किसी प्रकार की छूट प्रदान करता हो और प्रभारों की वसूली कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के लिये टैरिफ को प्रकाशित या घोषित दर से भिन्न दर पर करता हो, वहाँ कर का उद्ग्रहण स्वामी द्वारा प्रकाशित या घोषित प्रभारों पर न करके वास्तविक रूप से वसूल किये गये प्रभारों पर किया जायेगा ।”

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में प्रतिशतगतक लब्ध निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी;  
अर्थात् :—

“(2) सुख-साधन कर की संगणना करने में एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, एक रुपया मान लिया जायेगा और जो पचास पैसे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा।”

4—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी;  
अर्थात् :—

“4-क—(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह अधि-रोपित करे, किसी श्रेणी के होटलों, या किसी होटल में व्यवस्थित किये जाने वाले किसी विशिष्ट श्रेणी के आस्थगन सुख-साधनों को इस अधिनियम के अधीन देय कर के पूर्ण या किसी भाग के, भुगतान से, अधिसूचना द्वारा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो, छूट प्रदान कर सकती है या पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसे कर के पूर्ण या किसी भाग के भुगतान के आस्थगन के लिये अनुज्ञा दे सकती है।

(2) जहां किसी स्वामी ने उपधारा (1) के अधीन किसी छूट या आस्थगन का उपभोग कर लिया हो, और स्वामी द्वारा ऐसी छूट या आस्थगन की किन्हीं शर्तों का अनुपालन किसी भी कारण से नहीं किया गया है, वहां ऐसा स्वामी छूट या आस्थगन की अवधि के लिये कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा मानों उसे ऐसी छूट या आस्थगन की अनुज्ञा नहीं दी गयी थी।”

धारा 4 का  
संशोधन

नई धारा 4-क  
का बढ़ाया जाना

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

No. 1622 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-31-1999

Dated Lucknow, July 29, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Karadhan Tatha Bhoo-Rajashwa Vidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 34 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1999.

THE UTTAR PRADESH TAXATION AND LAND REVENUE LAWS  
(AMENDMENT) ACT, 1999

[U, P ACT No. 34 of 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws (Amendment) Act, 1999.

Short title

Substitution of section 3 of U.P. Act no. 8 of 1975

2. For section 3 of Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“3. In this chapter unless the context otherwise requires—

Definitions

(a) “American Plan” means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, the lunch and the dinner and may include the charges for the evening tea ;

(b) “Continental Plan” means the tariff plan in which the rent for the room includes the charges for the breakfast ;

(c) “hotel” includes an accommodational unit wherein rooms are provided to the customers on rent, but does not include the units approved under the ‘Paying Guest Scheme’ of the Department of Tourism of the Government of Uttar Pradesh ;

(d) “Luxuries” means such amenities as are provided in a hotel to the occupants of such rooms or suites therein as carry a rent of rupees one thousand or more per day ;

(e) “luxury tax” or “the tax” means the tax levied under section 4 ;

(f) “Modified American Plan” means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, and one meal, either lunch or dinner ;

(g) “proprietor” means the owner of the hotel and includes the person, who, for the time being, is incharge of the management of the hotel ;

(h) “rent” means the aggregate of all charges by whatever name called, actually received from the occupant of a room or suite in a hotel and includes charges for air-conditioning, cooler, heater, geyser, television, radio, music, entertainment, extra bed, or linen articles but does not include the charges for food or drinks or such other items, on the sale of which trade tax is payable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

*Explanation—1*—Irrespective of the number of persons staying in a room or suite the tax shall be levied, considering the room or the suite as a unit. Wherever a composite rate of charges has been fixed by the proprietor including charges of accommodation, food and drinks and the like under the various tariff plans such as, Continental, American or Modified American Plan, the tax under this Act shall not be levied on that part of such charges on which Trade Tax is leviable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

*Explanation—2*—Wherever the charges are realized by the proprietor on the basis of a rate, other than the daily rate, the assessment of the tax, shall be made on the average daily charges calculated on the basis of the total period of use of the room or suite.

*Explanation—3*—Wherever the proprietor gives any kind of discount and realize charges at a different rate than the published or declared rate of tariff for the rooms or suites, the tax shall be levied on the charges actually realized and not on the charges published or declared by the proprietor.”

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) In sub-section (1) the proviso shall be omitted ;

(b) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) In computing the luxury tax a fraction of a rupee which is fifty paise or more shall be taken as rupee one and which is less than fifty paise shall be ignored.”

4. After section 4 of the principal Act the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of  
new section 4-A

“4-A. (1) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it is necessary so to do in the public interest, by notification, exempt any class of hotels or any specific class of luxuries provided in a hotel from payment of the whole or any part of the tax payable under this Act or allow for deferment of the payment of the whole or any part of such tax, for a period not exceeding five years.

(2) Where a proprietor has availed of any exemption or deferment under sub-section (1) and any of the conditions for such exemption or deferment has not been complied with by him for any reason whatsoever, then, such proprietor shall, be liable to pay the tax for the period of exemption or deferment as if such exemption or deferment had not been allowed to him.”

By order,  
Y. R. TRIPATHI  
Pramukh Sachiv.